संख्या : 26/2016/373/छप्पन-2016-41/2003टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 17 मार्च, 2016

विषय :वित्तीय वर्ष 2015-16 में नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के लिए दो स्विफ्ट डिजायर वी0एक्स0आई0 पेट्रोल कार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों पर क्रय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 405/ना0उ0नि0/नया वाहन 2015, दिनांक 20-07-2015, पत्र संख्या- 767/ना0उ0नि0/वाहन/2015, दिनांक 15-12-2015 एवं पत्र संख्या- 1019/ना0उ0नि0/वाहन/2016, दिनांक 29-02-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के दो निष्प्रयोज्य घोषित वाहनों के प्रतिस्थान स्वरूप दो स्विफ्ट डिजायर वी0एक्स0आई0 पेट्रोल कार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों पर मैसर्स मारूति सुजिकी इण्डिया प्रा0 लि0, के अधिकृत फर्म के0टी0एल0 प्रा0लि0, फैजाबाद रोड, लखनऊ से प्राप्त प्रोफार्मा इनवाइस के आधार पर ट्रांजिट बीमा व्यापार कर, ट्रान्सपोर्ट चार्जेज, साज सज्जा एवं एसेसरीज आदि सहित रूपये 11,38,291/- के सापेक्ष रू0 11,38,000/- (रूपये ग्यारह लाख अडतीस हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- प्रश्नगत नये वाहनों का क्रय/फर्म को भुगतान सुसंगत नियमों का अनुशीलन करते हुए किया जाय ।

3- उक्त वाहनों का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट पर किया जाय तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में करते हुए स्वीकृत धनराशि का समायोजन की सूचना शासन को भी दी जाय।

4- उपर्युक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासकीय सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय के मानक मद-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामें डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-229/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 26/2016/373(1)/छप्पन-2016-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
4- मैसर्स के0टी0एल0 प्रा0लि0, फैजाबाद रोड, लखनऊ
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।